



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 04 नवम्बर, 2011 ई0

कार्तिक 13, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 357/XXXVI(3)/2011/57(1)/2010

देहरादून, 04 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

विविध

“ भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय विधेयक, 2011’ पर दिनांक 03 नवम्बर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011

{अधिनियम संख्या 22, वर्ष 2011}

पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं0 दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) इसका विस्तार राज्य के ऐसे भाग पर है, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो;

(ख) "अनुमोदित संस्था" विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उच्च शिक्षा की संस्था अभिप्रेत है;

(ग) "स्वशासी महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राविधानों द्वारा सम्बद्ध अथवा सहयुक्त घोषित महाविद्यालय अभिप्रेत है;

(घ) "महाविद्यालय" से इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;

(ङ) "विद्यमान महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है, जो उच्च/व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है और राज्य में स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित और अनुरक्षित की जा रही हो।

(च) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए

